निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

(15)

क्रमांकः– एफ पेपरलैस / बीमा / व्य0एवं प0 / 2020–21 / 584-634 दिनांकः– 22/9/2022

अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
समस्त संभागीय / जिला कार्यालय राजस्थान।

परिपत्र

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(19) वित्त / राजस्व / 2018 दिनांक 19.10.2020 एवं प.4 (2) वित्त / राजस्व / 98 पार्ट–1 दिनांक 08.12.2020 के द्वारा बीमा ऋण के प्रकरणों में हार्डकापी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसी क्रम में दिनांक 15.12.2020 से विभाग के सभी जिला कार्यालयों में बीमा ऋण प्रकरणों का निस्तारण पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है। इसी प्रकार वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.4 (36) वित्त / राजस्व / 1996 / पार्ट–1 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा बीमा के परिपक्वता स्वत्व एवं पत्र दिनांक 17.03.2021 के द्वारा मृत्यु एवं अध्यर्पण स्वत्व दावों के निस्तारण में हार्ड कापी के रूप में दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा चुका है।

वर्तमान में राज्य बीमा योजना का समस्त कार्य एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन 3.0 के माध्यम से पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाईन सम्पादित किया जा रहा है। बीमा ऋण एवं स्वत्व प्रकरणों में हार्डकापी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के पश्चात् भी यह देखने में आया है कि कई जिला कार्यालयों द्वारा बीमेदारों / दावेदारों से हार्डकापी में दस्तावेजों की मांग की जाती है, जिससे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड रहा है ।

अतः समस्त संभागीय एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यों का निस्तारण पोर्टल 3.0 पर पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी तरह के दस्तावेजों के हार्डकापी की मांग बीमेदारों / दावेदारों से नही की जावें। बीमा ऋण एवं स्वत्व प्रकरणों में नियमानुसार दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावें। भविष्य में किसी भी जिला कार्यालय द्वारा अनावश्यक दस्तावेजों की हार्डकापी की मांग किये जाने पर अथवा दस्तावेजों की हार्डकापी के अभाव में प्रकरण बकाया रखने पर संबंधित जिला अधिकारी / संबंधित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक / योजना प्रभारी एवं मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा जिला कार्यालयों में निरीक्षण के दौरान जॉच कर उक्त निर्देशों का सख्ती से पालना करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक